

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 खुरा पर भूमि स्थायी रूप से अर्जित हेतु वांछनीय है। उ०प्र० के राजकीय बजट में इस क्षेत्रफल की विक्रीपति का प्रकाशन अन्तर्गत धारा-28 व 32 क्रमशः 8.3.1980 व 6.11.1982 में प्रकाशित हुए।

प्रमाणित किया जाता है कि भूमि अध्यापित अधिकारी आवास एवं विकास परिषद मेरठ के निमित्त आज दिनांक 19.1.1985 को निम्नांकित विवरण के अनुसार 54-0-18 अर्थात् 33-776 एकड़ भूमि का कब्जा सहायक अभियन्ता, कार्यक्षेत्र उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बुलन्दशहर को हस्तान्तरित किया गया।

द्वारा
रामनाथ।

हस्ताक्षर

॥ रामनाथ ॥
अमीन

कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।

ग्राम: कस्बा खुरा, परगना खुरा, जिला बुलन्दशहर।
धारा-32 की विक्रीपति सं०: 285/20/2-897182-83। दिनांक 15.10.1982 को जारी की गयी जो उ०प्र० गजट 8 मार्च 1980 के भाग 8 पृष्ठ 70-71 पर प्रकाशित हुई।

विक्रीपति धारा 17। 11। की विक्रीपति सं०: 1120 एच/9-2-84-96 एच/बी०/82 दिनांक जून 1983 प्रकाशित।

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के निर्मित्त मैंने आज दिनांक 19.1.85 को उपरोक्त वर्णित भू क्षेत्र का कब्जा प्राप्त किया।

द्वारा
श्री रामसहाय सिंह

ह०/-
॥ राम सहाय सिंह ॥
सहायक अभियन्ता
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
बुलन्दशहर।

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	विवरण
499	1-0-5	
598	1-14-11	
608	0-13-12	
610	0-0-19	
612	0-4-10	
614	1-13-15	एक कुआँ
615	1-5-6	
616	0-10-12	
618	0-0-5	
619	5-11-16	
621	0-18-15	
622	3-12-3	
624	1-17-6	
626	6-11-9	
627	1-5-0	
628	3-18-19	एक कुआँ

राम सहाय सिंह

सहायक अभियन्ता

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

बुलन्दशहर

पृष्ठ: 2 : 55

629	0-6-14
630	0-7-6
631	0-7-0
632	0-1-14
643	2-14-0
644	0-10-0
646	5-12-17
647	0-7-8
649	5-2-15
860	0-15-0
861	1-0-0
1166	0-14-14
1167	0-0-10
1171	0-11-0
1172	0-15-0
1177	1-19-0
1178	1-8-0 एक कुआँ
651/1985	0-2-16
620/1985	0-6-0

54-0-17 33.776 एकड़

भू-स्वामी मौजूदा खड़ी फसल को पक जाने के उपरान्त काट ले तथा इसके बाद कोई फसल नहीं बो सके।

किसी भवन/सम्पत्ति पर कब्जा हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर
रामनाथ
अमीन

हो/-

। रामनाथ सिंह।
सहायक अभियन्ता
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
अलन्दगहर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता 20/11/78

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
अलन्दगहर

संस्थान किया जाता है कि ग्राम- खुर्जा परगना व तहसील- खुर्जा,
 जिला- मन्दाहर में 3050 आवात एवं विकास परिवारों की खुर्जा भूमि
 संस्थापक मुख्यालय योजना सं. 30 90 ग्राहक की विकास धारा-32
 विहित संख्या- 285/10/2897182-037 दिनांक: 15-10-82 जो 3090
 मार्च, 1980 के भाग-8 के पृष्ठ-70-71 पर प्रकाशित हुआ था जिसकी
 आधारित अधिनियम की धारा-17(1) की विहित संख्या- 1120एच/
 1983 संख्या/02 दिनांक: जून, 1983 के अर्थात् 1-6-83 को
 जहाँ इस पर मन्दाहर कृषि कल्याण विकास निम्न प्रकार है
 संख्या: 16-5-86 जो 3090 आवात एवं विकास परिवार, 104, महात्मा
 गान्धी की राह (अधिनियम 3090) आवात एवं विकास परिवार
 मुख्यालय के माध्यम से हस्तान्तरित किया गया है।

संख्या का नाम	संख्या संख्या	दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4

श्री राजेश कुमार गुप्ता 648 1-6-0
 (1) राजेश गुप्ता
 (2) राजेश गुप्ता (पति)
 (3) राजेश गुप्ता (पति)

दिनांक 1-6-0 राजेश

उपरोक्त भूमि तहसील- मन्दाहर- मुख्यालय- कल्याण आज दिनांक: 16-5-86 को
 3090 आवात एवं विकास परिवार, 104, महात्मा गान्धी मार्ग, मन्दाहर को तहसील
 मुख्यालय, 3090 आवात एवं विकास परिवार जहाँ मन्दाहर मुख्यालय के माध्यम से
 हस्तान्तरित किया।

उपरोक्त भूमि पर 'राजी कल्याण विकास निम्न प्रकारों को जहाँ के
 मुख्यालय के पास 304 के नाम से अनुसूचित दी जाती है। इसके बाद कल्याणकार
 मुख्यालय 'राजी कल्याण' ग्रीक पर स्थित मन्दाहर, मन्दाहर, कल्याण आर्थिक
 विकास कोष की धारा।

नाम- राजेश गुप्ता
 पद- मुख्यालय (16/5/86)
 (राजेश गुप्ता)

उपरोक्त भूमि का विकास दिनांक: 16/5/86 को 3090 आवात एवं विकास परिवार
 महात्मा गान्धी मार्ग, जो ओर से ग्राम, विकास मन्दाहर, मन्दाहर, कल्याण
 अन्य धार्मिक स्थानों की सीमा-बॉर्डर नहीं की जायेगी।

नाम- राजेश गुप्ता
 1-6-86